

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(जनपद मुजफ्फरनगर को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

आवंटन

अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक-4515007890524

संख्या: 1/शा0/31/2014-1/82/2014 लखनऊ: दिनांक 25 जून, 2014
विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 (स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु रू0-6250.00 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-916/33-3-2014-100 (11)/2014 दिनांक 19 जून, 2014 द्वारा अनुदान संख्या-83 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त योजनान्तर्गत लेखानुदान (माह अप्रैल, से जुलाई, 2014 तक) के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-6250.00 लाख शतप्रतिशत धनराशि अर्थात् धनराशि रू0-6250.00 (रूपया बासठ करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

- 1- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1425क0नि0प्र0/26-3-2013-13(21)/2013 दिनांक 10.10.2013 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 3- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2013-14 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14.03.2014 एव डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियाँ-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियाँ-02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।
- 5- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 6- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायगा।

7- आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8- सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एग0-4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

12- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

13- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-66 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,
(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या:1/शा0/31/1/2014 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- 5- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 6- सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (प0), उ0प्र0।
- 9- उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 10- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अंसारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-25/06/2014

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-sha-31-2014-1-82-2014

001-82-2014

83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	10846000 10846000	10846000 10846000
2	मुज़फ्फर नगर-2280-जिला पंचायत राज अधिकारी - शामली-सम्बल-हापुर, --01--	वर्तमान प्रगामी	2169000 2169000	2169000 2169000
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	4772000 4772000	4772000 4772000
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7809000 7809000	7809000 7809000
5	अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8677000 8677000	8677000 8677000
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6941000 6941000	6941000 6941000
7	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3471000 3471000	3471000 3471000
8	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	868000 868000	868000 868000
9	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2603000 2603000	2603000 2603000
10	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1735000 1735000	1735000 1735000
11	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	10846000 10846000	10846000 10846000

817 9/11

12	बदायूँ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2603000 2603000	2603000 2603000
13	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2169000 2169000	2169000 2169000
14	शाहजहाँपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3904000 3904000	3904000 3904000
15	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	12069000 12069000	12069000 12069000
16	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3471000 3471000	3471000 3471000
17	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	5206000 5206000	5206000 5206000
18	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6074000 6074000	6074000 6074000
19	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7809000 7809000	7809000 7809000
20	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	16052000 16052000	16052000 16052000
21	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	10412000 10412000	10412000 10412000
22	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	11713000 11713000	11713000 11713000
23	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8677000 8677000	8677000 8677000
24	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8677000 8677000	8677000 8677000
25	बाँदा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8677000 8677000	8677000 8677000
26	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3471000 3471000	3471000 3471000
27	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	14750000 14750000	14750000 14750000
28	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6074000 6074000	6074000 6074000
29	गज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	14316000 14316000	14316000 14316000

2017

30	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	5640000 5640000	5640000 5640000
31	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7809000 7809000	7809000 7809000
32	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6074000 6074000	6074000 6074000
33	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	10412000 10412000	10412000 10412000
34	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8677000 8677000	8677000 8677000
35	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	12581000 12581000	12581000 12581000
36	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	14750000 14750000	14750000 14750000
37	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	25596000 25596000	25596000 25596000
38	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	21257000 21257000	21257000 21257000
39	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	27765000 27765000	27765000 27765000
40	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	14750000 14750000	14750000 14750000
41	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	9110000 9110000	9110000 9110000
42	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3471000 3471000	3471000 3471000
43	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	19956000 19956000	19956000 19956000
44	मुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7375000 7375000	7375000 7375000
45	पतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8677000 8677000	8677000 8677000
46	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	16052000 16052000	16052000 16052000
47	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	10846000 10846000	10846000 10846000

217

48	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6941000 6941000	6941000 6941000
49	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3904000 3904000	3904000 3904000
50	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6941000 6941000	6941000 6941000
51	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	4772000 4772000	4772000 4772000
52	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	868000 868000	868000 868000
53	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	19522000 19522000	19522000 19522000
54	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8246000 8246000	8246000 8246000
55	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7809000 7809000	7809000 7809000
56	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8243000 8243000	8243000 8243000
57	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6074000 6074000	6074000 6074000
58	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7809000 7809000	7809000 7809000
59	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2603000 2603000	2603000 2603000
60	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6507000 6507000	6507000 6507000
61	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6074000 6074000	6074000 6074000
62	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	4772000 4772000	4772000 4772000
63	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	4338000 4338000	4338000 4338000
64	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	9978000 9978000	9978000 9978000
65	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	21257000 21257000	21257000 21257000

2/1

217 9/17

66	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	5999000 5999000	5999000 5999000
67	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1735000 1735000	1735000 1735000
68	शावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	8243000 8243000	8243000 8243000
69	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2603000 2603000	2603000 2603000
70	चिश्मूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	9110000 9110000	9110000 9110000
71	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	4338000 4338000	4338000 4338000
72	अमैठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	10846000 10846000	10846000 10846000
73	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5206000 5206000	5206000 5206000
74	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2603000 2603000	2603000 2603000
	योग	वर्तमान प्रगामी	625000000 625000000	625000000 625000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया बासठ करोड़ पचास लाख

रुपया बासठ करोड़ पचास लाख

शहजाद अहमद अंसारी
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

२५

प्रेषक,

एच0एस0वतुर्वेदी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ

लखनऊ: दिनांक: 19 जून 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु स्पेशल कम्पौनेन्ट सब प्लान (अनुदान संख्या-83) के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु रू08250.00 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या-5/840/2014-5/45/2014 दिनांक 09 मई, 2014 के क्रम में शासनादेश संख्या-447/ 66-2012-05/2012, दिनांक 17.05.2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1286/33-2-2012-4 आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012, एवं शासनादेश संख्या-89/33-3-2013-100(20)/2012, दिनांक 28 जनवरी, 2012 तथा शासनादेश संख्या-368/33-3-2013-100(20)/2012, 08 जनवरी, 2013 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या- बी-1-795/ दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वर्ष 2014-15में उक्त योजनान्तर्गत लेखानुदान अवधि (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 8250.00लाख की शतप्रतिशत धनराशि अर्थात् धनराशि रू0 8250.00लाख (रू0 बासठ करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1425क0नि0प्र0/26-3-2013-13(21)/2013, दिनांक 10.10.2013 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- (3) निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2013-14 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या- बी-1-795/ दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01- प्रतिशतता प्रमारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्ति-02-प्रतिशतता प्रमारों की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-05- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग की व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य " के नामें डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007, दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोक्त

भवदीय,

(एच0एस0चतुर्वेदी)
विशेष सचिव

संख्या - 916 (1)/33-3-2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उ0प्र0 शासन।
- 3- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 5- मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 8- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या - 916/33-3-2014-100 (11) | 2014 दिनांक 19/07/2014 का

संलग्नक

पंचायतीराज विभाग, स0प्र0।

वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (अनुदान-83) के अन्तर्गत आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख में)

क्र०.सं०	जनपद का नाम	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि		
		सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण (कार्यान्वयन)	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5
1	लखनऊ	117.16	8.65	125.81
2	हरदोई	258.56	19.09	277.65
3	डीठापुर	197.96	14.61	212.57
4	खीरी	137.36	10.14	147.50
5	रायबरेली	238.36	17.60	255.96
6	रुनाव	137.36	10.14	147.50
7	वाराणसी	32.32	2.39	34.71
8	बन्दीली	60.60	4.47	65.07
9	जीनपुर	56.56	4.18	60.74
10	गाजीपुर	133.32	9.84	143.16
11	मिर्जापुर	137.36	10.14	147.50
12	सोनमढ	181.80	13.42	195.22
13	मदीही	76.76	5.67	82.43
14	आजमगढ	96.96	7.16	104.12
15	गऊ	64.64	4.77	69.41
16	बलिया	52.52	3.88	56.40
17	बस्ती	56.56	4.18	60.74
18	शिवालय नगर	44.44	3.28	47.72
19	सन्तकबीर नगर	40.40	2.98	43.38
20	बरेली	16.16	1.19	17.35
21	शाहजहाँपुर	36.36	2.68	39.04
22	बवायँ	24.24	1.79	26.03
23	पीलीभीत	112.39	8.30	120.69
24	इलाहाबाद	96.96	7.16	104.12
25	कौशाम्बी	197.96	14.61	212.57
26	प्रतापगढ	80.80	5.97	86.77
27	फतेहपुर	149.48	11.04	160.52

AR/103

✓

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि		
		सिटी/टोटा रकम (लाखों में)	अभिज्ञान अंश 8875 प्रतिशत की धनराशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
28	डीजाबाद	84.84	6.26	91.10
29	बाराबंकी	149.48	11.04	160.52
30	अम्बेडकरनगर	72.72	5.37	78.09
31	सुल्तानपुर	68.68	5.07	73.75
32	अमेठी	101.00	7.46	108.46
33	गोंडवा	32.32	2.39	34.71
34	बलराजपुर	44.44	3.28	47.72
35	बहराइच	185.84	13.72	199.56
36	श्रावस्ती	76.76	5.67	82.43
37	कानपुरनगर	72.72	5.37	78.09
38	कानपुर देहात	36.36	2.68	39.04
39	फर्रुखाबाद	48.48	3.58	52.06
40	इटावा	56.56	4.18	60.74
41	औरंगा	92.92	6.86	99.78
42	कन्नौज	16.16	1.19	17.35
43	मुरादाबाद	20.20	1.49	21.69
44	सम्भल	24.24	1.79	26.03
45	रामपुर	32.32	2.39	34.71
46	बिजनौर	101.00	7.46	108.46
47	अमरौहा	24.24	1.79	26.03
48	आगरा	32.32	2.39	34.71
49	गधुरा	64.64	4.77	69.41
50	मैनपुरी	8.08	0.60	8.68
51	फिरोजाबाद	8.08	0.60	8.68
52	अलीगढ़	80.80	5.97	86.77
53	हाथरस	56.56	4.18	60.74
54	कासगंज	40.40	2.98	43.38
55	एटा	24.24	1.79	26.03
56	औरंगा	109.08	8.05	117.13
57	ललितपुर	101.00	7.46	108.46
58	जालौन	80.80	5.97	86.77
59	मेरठ	44.44	3.28	47.72
60	बामनगढ़	55.87	4.12	59.99

ASM

क्र० सं०	ग्रामपद का नाम	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि		
		सी०सी०रोड एवं क०सी० ड्रेन का निर्माण (कायांका)	अधिष्ठान अथ 8.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5
61	गाजियाबाद	64.64	4.77	69.41
62	हापुड़	48.48	3.58	52.06
63	गीतमबुद्धनगर	24.24	1.79	26.03
64	बुलन्दशहर	72.72	5.37	78.09
65	सहारनपुर	101.00	7.46	108.46
66	मुजेफ्फरनगर	0.00	0.00	0.00
67	शामली	20.20	1.49	21.69
68	चित्रकूट	84.84	6.26	91.10
69	हमीरपुर	80.80	5.97	86.77
70	महोबा	72.72	5.37	78.09
71	बाँदा	80.80	5.97	86.77
72	गोरखपुर	72.72	5.37	78.09
73	महाराजगंज	76.85	5.61	82.46
74	देवरिया	80.80	5.97	86.77
75	कसीनगर	56.56	4.18	60.74
प्रदेश का योग-		5820.31	429.69	6250.00

B&W

(ए० सी० पाण्डेय)
उप निदेशक (पंचायत)
पंचायतीराज, उ० प्र०